



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1933 (श०)
(सं० पटना 175) पटना, बुधवार, 4 मई 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

13 अप्रैल 2011

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-02/2011-667—बिहार-राज्यपाल का दिनांक 8 अप्रैल, 2011 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (2) के उप-खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, देबानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2011 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक 8 अप्रैल, 2011

देबानन्द कुँवर,
राज्यपाल, बिहार।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव।

13 अप्रैल 2011

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-02/2011-668—अधिसूचना संख्या 667, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप-सचिव।

The 13th April 2011

No. P.A.-1/V.M.(Session)-01-02/2011-667—The Following order of the Governor of Bihar dated 8th April, 2011 is hereby published for general information:-

“In exercise of the powers under Sub-Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Devanand Konwar, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after completion of the business of the house on 30th March, 2011.

Patna,
Dated 8th April, 2011

Devanand Konwar,
Governor of Bihar.”

By order of the Governor of Bihar,
NAVNEET RANJAN TIWARI,
OSD-cum-Dy. Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 175-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>